भाग चार : खण् ड 3

1अनुसूिचत जनजाित तथा वन में परम् परा से रहने वाले वनवािसयों के (वन अिधकारों की मान् यता) अिधनियम 2006

(ब. 2 वषर् 2007)

वन में रह रहे अनुसूिचत जनजाित के सदः य तथा वन में परम् परा से रहने वाले अन् य व् यिक्तयों को, जो वन में पीिढ़यों से रह रहे हैं तथा वन भूिम पर कब् जा िकये हुए हैं, परन् तु उनके अिधकार कभी भी अिभिलिखत नहीं िकये गये। उनके वन भूिम के अिधकारों को अिभिलिखत करने, और उनको ूदाय करने हेतु, िकस साआ य की आवँ यकता होगी और ये अिधकार िकस ूकार मान् य तथा ूदाय िकये जावेंगे, यह िनधार्रण करने तथा उनके अिधकारों को मान् यता देने व अिधकार देने हेतु अिधनियम।

जबिक वनों में रहने वाले अनुसूिचत जनजाित के सदः य तथा वन में परम् परा से रहने वाले अन् यव् यिक्तयों को वन में रहने का अिधकार ूदाय करने से उनकी वन भूिम को लगातार उपयोग करने का दाियत् वतथा अिधकार ूाप् त होता है उसके साथ उनकी वन जैिवक िविभन् नता वाले पशु तथा पौधे तथा पयार्वरण संतुलन का संरक्षण तथा सुरक्षा का दाियत् व भी आवेगा, जो वन के संरक्षण क्षेऽ की वृिद्ध करेगी तथा वन में रहने वाले अनुसूिचत जनजाित के सदः य तथा वन में परम् परागत रहने वाले अन् य व् यिक्तयों की रहने की तथा भोजन की सुरक्षा करेगा।

और जबिक राजाओं के राज् यकाल में तथा बाद में ः वतन् ऽता के पँ चात् भी राज् य के वनों के पुनर्गठन के समय, वन में पीिढ़ यों से रह रहे अनुसूिचत जनजाित के सदः य तथा अन् य व् यिक्तयों के उनकी पीिढ़ यों से कब् जे की वन भूिम के अिधकारों को समुिचत मान् यता नहीं दी गई िजससे वनवािसयों के साथ एितहािसक अन् याय हुआ जबिक वे वन की इको िसः टम को बचाने तथा लगातार बने रहने के एक अंग है। और अब वन में रहने वाली अनुसूिचत जनजाितयों और अन् य परम् परागत वन में रहने वाले व् यिक्तयों को तथा उनको, िजन् हेंराज् य के िव कास कायोर्ं हेतु अपने रहने के ः थान को जबरदः ती छोड़ना पड़ा, उनको उस भूिम की घृित तथा पहुंच के ूित लम् बे समय से चली आ रही असुरक्षा को समाप् त करने का समय आ गया है अत:

भारत के गणराज् य के 57 वे वषर् में संसद द्वारा िनम् नानुसार अिधनियमित हो -

अध् याय 1 ू
ारिम्भक

(1) संिक्षप् त नाम तथा लागू होना - (1) यह अिधनियम "अनुसूिचत जनजाित एवं अन् य परम् परागत वनवािसयों के (वन अिधकारों की मान् यता) अिधनियम 2006" कहलावेगा।

(2) यह अिधनियम पूरे भारत में, जम् मू कँ मीर राज् य छोड़कर, लागू होगा।

(3) यह अिधनियम उस िदनांक से, जो केन् ि सरकार राजपऽ में अिधसूिचत करे, लागू होगा।

2नोट - यह िनयम 31.12.77 से लागू हुआ है।

(2) पिरभाषायें - जब तक सन् दभर् में अन् य या आवँ यक न हो -

(a) समुदाय के वन ॐोत (Community Forest Resource) से तात् पयर् हैिकसी गांव की सावर्जिनक वन भूिम जो परम् परागत या रीित िरवाज के अनुसार गांव की सीमा के अन् दर िःथत है या चरवाहे जाित के मामले में वह वन वनभूिम िजसका उपयोग ऋतु अनुसार होता हो, िजसमें आरिक्षत वन संरिक्षत वन या सुरिक्षत क्षेऽ जैसे अभ् यारण् य, या रां शीय उद्यान भी सिम्मिलत है, िजस पर उनकी परम् परागत पहुँच हो।

1. इस अिधनियम को रां शपित की ः वीकृित 29.12.06 को ूाप् त हुइर्। अिधनियम भारत शासन के राजपऽ (असाधारण) भाग-II-सेक् शन-1 िद. 2.1.07 पृं ठ 1-9 पर ूकािशत।

(b) वन ूाणी खतरे वाली आवासीय भूिम (Critical wild life habitat) से तात् पयर् रां शीय उद्यान या अभ् यारण् य के वे क्षेऽ, िजन् हें वैज्ञािनक तथा िविवध उद्देँ यीय मापदण् ड से, िविशं ट रूप से, ः पं टतया िनिश्चत हो गया है िक ऐसे क्षेऽों को वनूाणी के संरक्षण के िलए सुरिक्षत रखा जावे। िजनके सम् बन् ध में िवशेषज्ञ कमेटी (Expert Committee) की राय ली जावेगी, और िजसमें उस क्षेऽ के िवशेषज्ञ भी सिम्मिलत रहेंगे िजन् हें राज् य शासन िनयुक् त करे, तथा एक सदः यअनुसूिचत जनजाित कायर् मन् ऽालय का ूितिनिध भी सिम्मिलत िकया जावेगा और धारा 4 के उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार िनिश्चत िकया जावेगा िक क् या भूिम को वन ूाणी संरक्षण हेतु सुरिक्षत िकया जावे। पँ चात् केन् ि शासन, के पयार्वरण एवं वन मन् ऽालय द्वारा अिधसूिचत िकया जावेगा।

(c) 'वन में रहने वाली अनुसूिचत जनजाित' से तात् पयर् अनुसूिचत जनजाित के ऐसे सदः यों से हैं जो मुख्य रूप से वन में रहते हैं और वे उनके जीवन यापन की मूलभूत आवँ यकताओं की पूितर् के िलए वनों या वन भूिम पर िनभर्र रहते हैं और िजनमें चरवाहे ूजाित के सदः य भी सिम्मिलत हैं।

(d) वन भूिम (Forest land) में वह वन भूिम जो िकसी भी पिरभाषा से जानी जाती हो और वन में िःथ त हो िजसमें अवगीर्कृत वन, (unclassed forest), िजसकी सीमा का िनधार्रण नहीं हुआ हो ऐसे वन

(undermarcated forests) या िजनको वन माना गया हो, या संरिक्षत वन आरिक्षत वन, अभ् यारण् य और रां शीय उद्यान सिम्मिलत है।

(e) वन अिधकार (Forest right) से तात् पयर् उन वन अिधकारों से है जो खण् ड 3 में िदये हैं।

(f) 'वनमाम' वह व् यवः थापन जो वन के अन् दर िकसी राज् य के वन िवभाग द्वारा वन कायोर्ं के सम् पादन के उद्देँ य से ः थािपत िकया गया हो, या िजन् हें वन के आरक्षण की ूिबया में वनमाम बनाया गया हो और िजनमें सिम्मिलत है वन बन् दोबः त माम, िनिश्चत मांग के कब् जे (fixed demand holding) वाली भूिम सभी ूकार के टाग् या व् यवः थापन, चाहे िजस नाम से जाने जाते हो तथा िजसमें वह वन भूिम सिम्मिलत है िजस पर राज् य शासन के खेती करने की अनुमित ही है।

(g) माम सभा- से तात् पयर् गांव की वह सभा िजसमें गांव के समः त ूौढ सिम्मिलत हो और उन राज् यों के सम् बन् ध में जहाँ पंचायत, पड़ाव, टोला और अन् य पारम् पिरक माम संः था न हो वहाँ मामवािसयों द्वारा चयिनत सभा िजसमें मिहला का भाग लेना ूितबिन्धत न हो।

(h) ू ाकृितक वास (Habitat) में वह क्षेऽ सिम्मिलत है जो आरिक्षत या संरिक्षत वन में अिवकिसत जनजाित के सदः यों का और जो कृिष कायर् के ू ारम् भ के पूवर् की जाितयों की अनुसूिचत जनजाितयों का वासः थान है।

(i) लघु वन उपज (Minor Forest Produce) में सिम्मिलत है वृक्षों के इमारती भाग को छोड़ समः त भाग और िजसमें बांस, झाड़ी, ठूंढ, बेत, टसर, ककून, शहद, मोम, लाख, तेन् द या केन् दूपत् ता, औषधीय पौधे, छोटे पौधे (Herb) जड़ें, गाँठ (tumer) और उस ूकार की वः तुए सिम्मिलत हैं।

(j) नोडल एजेन् सी से तात् पयर् वह एजेन् सी है जो सेक् शन 11 में दी गई है।

(k) अिधसूचना (Notification) से तात् पयर् वह अिधसूचना है जो शासकीय राजपऽ में ूकािशत हो।

(l) 'िनधार्िरत' से तात् पयर् इस अिधिनयम के अन् तगर्त बने िनयमों में ूावधािनत है।

(m) "अनुसूिचत क्षेऽ" से तात् पयर् संिवधान के अनुच् छेद 244(1) में िदया गया क्षेऽ है।

(n) लगातार उपयोग (Sustainable use) वह वही अथर् होगा जो बायोलोिजकल डायविसर्टी अिधिनयम 2002 की धारा 2 के क् लाज (o) में िदया है।

(o) "अन् य परम् परागत वनवासी" से तात् पयर् कोई व् यिक्त या समाज से है, जो 13 िदसम् बर 2005 के पूवर् तीन पीिढ़यों से वन में रह रहा है, तथा जो वन या वन भूिम पर अपनी मूलभूत जीवन की आवँयकताओं के िलए िनभर्र है।
ः पं टीकरण - इस खण् ड में 'पीढ़ी' से तात् पयर् है 25 वषर् का समय

(p) गाँव से तात् पयर् है -

(i) Provision of Panchayat (extension to scheduled areas) Act 1946 की धारा 4 क् लाज (b) में िदया गया गाँव

(ii)िकसी भी राज् य के पंचायत से सम् बिन्धत कानून (अनुसूिचत क्षेऽ को छोड़कर) में िदया गाँव

(iii)वन माम, पुरानी बसाहट, या बन् दोबः त, या िबना सवेर् िकया गाँव, चाहे गाँव के रुप में अिधसूिचत हुआ हो या न हुआ हो।

(iv)उन राज् यों में जहां पंचायत न हो परम् परागत गांव, चाहे िजस नाम से पुकारा जावे।

(q) "वन् य पशु" से तात् पयर् वन ूाणी (संरक्षण) अिधिनयम 1972 में िदये अनुसूिच I से IV में दी ूजाित और जो ूकृित में जंगल में िमलती हो।

अध् याय II
वन अिधकार (Forest Rights)

(3) वन में रहने वाली अनुसूिचत जनजाित, और अन् य परम् परागत वनों में िनवास करने वालों के वन अिधकार -

(1) इस अिधिनयम के अन् तगर्त वन भूिम पर रहने वाली अनुसूिचत जनजाित तथा अन् य परम् परागत वन में रहने वाले व् यिक्त या समुदाय या दोनों को िनम् न वन अिधकार होंगे -

(a) वन में रहने वाली अनु. जनजाित एवं परम् परागत वन में रहने वालों को वन की भूिम को धारण करने तथा उस पर एक व् यिक्त या समुदाय के रहने या जीवन यापन के िलए उस पर ः वयं या सदः यों द्वारा कृिष करने का अिधकार।

(b) सामुदाियक अिधकार जैसे िनः तार या िजस िकसी नाम से जाने जावे, या वे अिधकार जो वे पुराने राजाओं के, जमीदारी के याअन् य अन् तिरम शासन के समय में ूाप् त कर रहे थे।

(c) माम से या माम के बाहर से वह लघु वन उपज, जो वे परम् परागत रूप संमिहत करते आ रहे हैं, संमहण करने या उस तक पहँचने या उस पर मािलकाना अिधकार रखने उसको उपयोग में लाने का अिधकार।

(d) जंगल के अन् दर पानी के अन् दर के पदाथर् जैसे मछली या अन् य पदाथर् पर अधिकार तथा वहां के ः थािपत वािसयों एवं पिरवहन करने वाले वन वािसयों के और घुमक् कड़ और चरवाहा ूजाित के वन में चराई अधिकार।

(e) आिदमकाल या कृिष काल के पूवर् के आिदम जाित के समूहों केा वन में रहने का अधिकार।

(f) िकसी राज् य की िववादमः त भूिम पर (जो राज् य में िकसी नाम से जानी जाती हो) पर अधिकार।

(g) िकसी राज् य सरकार या अन् य ः थानीय अधिकारी द्वारा ूदत् त वन भूिम के पट्टे या अनुदान के द्वारा ूदत् त अधिकार को पिरवतर्न करेन का अधिकार।

(h) सभी वन मामों, पुराने वन के वास ः थल, असीमा वाले गांव या वन में बसे िकसी माम, चाहे िरकाडर् में हो या अिधसूिचत हो या नहीं, का व् यवः थापन एवं उनको राजः व गांव में पिरवतर्न करने का अधिकार।

(i) िकसी सामूदाियक वन की रक्षा करने, उसमें पुनरात् पदन करने, उसको सुरिक्षत रखने या व् यवः थापन करने का अधिकार।

(j) वे अधिकार, जो िकसी राज् य के या िकसी ः वायत् त क्षेऽीय कोंिसल के कानून से या िजन् हें जनजाितयों के परम् परागत या रीितिरवाज के रूप में िकसी जनजाित के िलए, िकसी राज् य द्वारा ः वीकार िकये गये हैं, का उपयोग करने हेतु।

(k) िकसी िविशं ट पौधे या पशु के सम् बन् ध में िवशेष ज्ञान या परम् परागत ज्ञान या सांः कृितक ज्ञान हो उस पर पहुँच।

(l) उपरोक् त (a) से (k) तक में िदये के अितिरक् त अन् य कोई परम् परागत या रीित िरवाज अनुसार अधिकार जो वन में वास कर रही आिदम जनजाित या अन् य परम् परागत िनवािसयों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हो, िजसमें वन में िशकार, वन् य पशु को पकड़ना, या िकसी वन् य पशु का वन् य पौधे का कोई अंग िनकालना सिम्मिलत नहीं है।

(m) 13 िदसम् बर 2005 के पूवर् िजन अनुसूिचत जनजाित के सदः य तथा अन् य वनवािसयों को, िजनकी वहां रहने की कानूनी पाऽता नहीं थी वन भूिम से हटाया गया, तथा भूिम का कब् जा िलया, उपको पुनः उसी ः थान पर बसाने का अधिकार।

(2) वन (संरक्षण) अिधिनयम 1980 (वषर् 1980 का 69) में कोई बात होते हुए भी केन् ि शासन उस वन भूिम को, िजसका ूबन् ध शासन कर रहा हो और िजस पर 75 वृक्ष ूित हेक् टयर से अिधक वृक्ष की कटाई न होना हो, को िनम् न कायोर्ं के िलए, ूत् यावतर्न करने की अनुमित देगी -

(a) पाठशाला
(b) अः पताल या िडः पेन् सरी
(c) आंगनवाड़ी
(d) उिचत मूल् य की दुकान
(e) िवद्युत एवं टेलीफोन लाइन
(f) तालाब या अन् य जल ॐोत
(g) पीने के पानी का ूदाय और पानी की पाइप लाइन डालना(h) वषार् जल/जल संमहण के साधन
(i) लघु िसंचाई नहर
(j) अपरम् परागत उजार् का ॐोत
(k) उद्योग ूिशक्षण संः था
(l) सड़क
(m) सामुदाियक केन् ि

परन् तु वन भूिम का ूत् यावतर्न में ः वीकार िकया जावेगा -

(i) िकसी भी कायर् हेतु वन भूिम का क्षेऽ जो ूत् यावतर्न होना हो - एक हेक् टर से अिधक नहीं होगा।(ii) िकसी भी क्षेऽ की िवकास हेतु, सफाई के पूवर्, उस गांव की गांव सभा द्वारा िसफािरश की गई हो।

अध् याय III

वन अिधकारों को मान् यता देना, उनका पुनः ः थापन, एवं अन् य सम् बिन्धत िवषय

(4) वन में रह रहे अनु. जनजाित के व् यिक्त एवं परम् परागत वन में िनवास करने वाले व् यिक्तयों के अिधकारों के मान् यता देना और उनको देना - तत् समय लागू िकसी भी िविध में कोई भी ूावधान होते हुए भी और इस अिधिनयम के ूावधान अनुसार, केन् ि शासन िनम् न अिधकारों को मान् यता देते हुए उनमें वेिष्ठत करता है।

(a) राज् य के उन वन में रहने वाले अनु.जाि त के सदः यों को, िजस ः थान के आदम जाि त घोि षत िकये गये हैं, धारा 3 में िदये समः त अिधकार।

(b) अन् य परम् परागत वन में िनवास करने वाले व् यिक्तयों को धारा-3 में िदये समः त अिधकार।

(2) इस अिधनियम के अन् तगर्त यिद अिधकारों की मान् यता वन ूाणी के आवास ः थल, रां शीय उद्यान, या अभ् यारण् य के मध् य िःथत जनजाि त के सदः यों को वेि ष्ठत होते हैं तो उनको संशोिधत िकया जावे या उनका पुन: ः थापन िकया जावे। परन् तु वन ूाणी संरिक्षत क्षेऽ को अन अितबिमर्त क्षेऽ करने के िलए िकसी भी अिधकारी ूदत् त व् यिक्त को पुन: ः थािपत या अिधकारों में पिरवतर्न तब तक नहीं िकया जावेगा, जब तक िक िनम् न शतेर्ं पूरी न कर ली जावे अथार्त-

(a) धारा 6 के अन् तगर्त अिधकारों की मान् यता देने और वेि ष्ठत करने की ूिबया, िवचाराधीन ः थान के िलये पूरी न कर ली जावे।

(b) जब तक राज् य शासन के अिधकारी, वन ूाणी (संरक्षण) अिधनियम 1972 के अन् तगर्त ूदत् त शिक्त के आधार पर परीक्षण कर यह घोि षत नहीं करते हैं िक अिधकार ूदत् त व् यिक्तयों के वहाँ रहने का ूभाव उस ः थान में पाये जाने वाले वन् य पशु को अक्षित पूि तर् योग् य हाि न पहुँचावेगा और उनका उस वास ः थान पर रहने का खतरा पैदा हो जावेगा।

(c) राज् य सरकार ने यह अिन्तम िनणर्य ले िलया है िक वन् य ूाणी तथा अिधकार ूदत् त आिदवासी का साथ रहने का कोई िवकल् प शेष नहीं है।

(d) पुन: ः थापना के ः थल को तैयार कर िदया गया है और यह बता िदया गया है िक वह ः थान पुन: ः थािपत व् यिक्तयों एवं समुदाय को सुरिक्षत जीवन यापन का साधन देगा और उनको सम् बिन्धत अिधनियम तथा केन् ि शासन की नीि त अनुसार सुि वधाये देने हेतु सक्षम है। (e) इस बसाहट और उसको िदये अिधकारों के िवषय में उस क्षेऽ की माम सभा को जानकारी देकर उनकी िलिखत सहमित ूाप् त कर ली गई है।

(f) नये ः थल पर बसाहट तब तक नहीं की जावेगी जब तक ः थल पर भूि म का आबंटन एवं उनको ूदत् त सुि वधा की व् यवः था पूणर् न कर ली हो परन् तु यह भी वनूाणी संरिक्षत ः थल से वन ूािणयों के संरक्षण हेतु अिधकार ूदत् त हटाये व् यिक्तयों को नये ः थल से िकसी भी राज् य शासन या केन् ि शासन की िकसी योजना के अन् तगर्त पुन: नहीं हटाया जावेगा।

(3) वन में रहने वाले अनुसूि चत जनजाि त के व् यिक्त तथा अन् य वन में परम् परागत रहने वाले व् यिक्तयों को िकसी राज् य या संघ शाि सत ूदेश में वन में अिधकारों को मान् य करना तथा वेि ष्ठत करना इसी शतर् के अध् याधीन है िक उन् होंने 13 िदसम् बर 2005 को वन भूि म पर कब् जा कर िलया था।

(4) उपधारा (1) के अन् तगर्त ूदत् त अिधकार उत् तरािधकाराधीन है लेिकन हः तान् तरणीय या अन् यसबमणीय नहीं है। यह अिधकार शादीशुदा व् यिक्त के मामले में पित तथा पत्नि के नाम पर और अकेले व् यिक्त के मामले में व् यिक्त के नाम पर पंजीकृत िकया जावेगा तथा उत् तरािधकारी को हः तान् तिरत हो जावेगा तथा यिद सीधे उत् तरािधकारी न हो तो अगले नए िरँ तेदार को ः थानान् तिरत होगा।

(5) वन में रहने वाले िकसी अनु.जनजाि त या अन् य परम् परागत वन में रहने वाले व् यिक्तयों वन भूि म से बेदखल या उसे वन से इस िनयमों के ूावधान के अितिरक् त भगाया नहीं जावेगा जब तक अिधकारों की मान् यता तथा उसका सत् यापन पूरा न हो जावे।

(6) जब वन के अिधकारों को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उपधारा (a) की वनभूि म पर मान् यता दी जावे और उन् हें वेि ष्ठत िकया जावे तब वह भूि म उस व् यिक्त या पिरवार या समुदाय के कब् जे में, इस अिधनियम के लागू होने के िदनांक से रहेगी, और यह अिधकार केवल उतनी ही भूि म पर या अिधकतम 4 हेक् टयर तक सीि मत रहेगी। िजस पर उनका कब् जा था।

(7) ये वन के अिधकार सभी िवलंगमों से रिहत तथा िकसी ूिबया के िबना ूदाय िकये जावेंगे। िजसमें वनों की सफाई पर, वन (संरक्षण) अिधनियम 180 के अन् तगर्त, अनुमित सिम्मिलत रहेगी लेिकन भूि म धारी को भूि म का 'आज का शुद्ध मूल् य' तथा वन भूि म के पिरवतर्न के कारण 'ूि तकरात् मक वन रोपण' का व् यय का भुगतान करना होगा।

(8) इस अिधनियम के अन् तगर्त अिधकारों की मान् यता तथा ूदाय उन अनुसूि चत जनजाि त के सदः य तथा परम् परागत वन में रहने वाले व् यिक्तयों को भी देय होंगे, जो यह ूमािणत कर सकें िक वे अपने ः थान से तथा कृि ष भूि म से, राज् य के िवकास कायोर्ं के िलये भूि म की आवँ यकता के कारण बेदखल िकये गये तथा उन् हेंकोई अन् य भूि म नहीं दी गई है, लेिकन वह भूि म िजस पर से उन्हें हटाया गया है, उनको हटाने के 5 वषर् बाद भी कोई कायर् िजस हेतु अिधमहण की गई, नहीं हुआ है।

धारा 5. वन अिधकारों के धारकों के कत् तर्व् य - वन अिधकारों के धारक, तथा उस गांव िजसके रहवािसयों को इस अिधनियम के अन् तगर्त अिधकार िदये गये हैं, की माम सभा, तथा अन् य गांव की संः थाओं को िनम् न अिधकार िदये जाते हैं -

(a) वन ूाणी, वन, तथा वन के िवशं ट पौधे या वन पशु की सुरक्षा करना

(b) क्षेS के जलमहण क्षेS, जल ॐोत और अन् य पयार्वरण संवेदनशील क्षेSों की रक्षा करना।

(c) वन में रह रहे अनु.जनजाित के एवं अन् य परम् परागत वनवािसयों के आसपास के पयार्वरण पर कोई िवनाशकारी कायर् न हो जो उनके सांः कृितक एवं ूाकृितक िवरासत पर ूभाव डाले, यह सुिनिश्चत करें।

(d) यह सुिनिश्चत िकया जावे िक माम सभा द्वारा वनों में पहुँच सम् बन् धी िनणर्य िलये जावे वे वन ूाणी, वन, वन के िविश ं ट पौधे या पशु पर िवपरीत ूभाव न डाले।

अध् याय IV

वन अिधकारों को ूदाय करने की ूिबया और अिधकारी

धारा 6. वन में रहने वाले अनुसूिचत जनजाित के सदः य तथा अन् य व् यिक्तयों को वन के अिधकार देने वाले अिधकारी और अिधकार देने की ूिबया - वन में रहने वाले अनुसूिचत जनजाित के सदः यों तथा परम् परागत वन में रहने वाले अन् य व् यिक्तयों (एकल या सामूदाियक) वन को अिधकारों की ूकृित (Nature) तथा सीमा को िनँ चत करने की ूिबया उस माम सभा द्वारा, िजसकी सीमा में वह वनक्षेS आता है ूारम् भ की जावेगी। माम सभा इस अिधनियम के अन् तगर्त दावों को ूाप् त करेगी, उसको संकिलत करेगी उनकी जांच करेगी तथा वह ूत् येक व् यिक्त को िजस क्षेS पर अिधकार देने की िसफािरश करेगी उसको मानिचS में ूदिशर्त करेगी। तथा यह रीित िनधार्िरत करेगी जो िजससे वह अिधकार का उपयोग हो। इसे पँ चात् एक ूः ताव पािरत करेगी और ूः ताव की एक ूित उप मण् डलीय कमेटी को भेजेगी।

(2) यिद कोई व् यिक्त माम सभा के ूः ताव से व् यिथत हो तो वह ूः ताव के िवरुद्ध उपधारा (3) के अन् तगर्त गिठत सिबडवीजनल लेबल कमेटी को आवेदन ूः तुत करेगी। सिबडवीजनल कमेटी उस पर िवचार करेगी तथा आवेदन का िनराकरण करेगी।

परन् तु ऐसा आवेदन, मामसभा द्वारा ूः ताव पािरत करने के 60 िदन के अन् दर ूः तुत िकया जा सकेगा। परन् तु ऐसा कोई भी आवेदन, व् यिथत आवेदक के िवरुद्ध तब तक नहीं िनराकृत िकया जावेगा जब तक उसको अपना पक्ष ूः तुत करने का अवसर न िदया जावे।

(3) राज् य सरकार सिबडवीजनल लेवल कमेटी गिठत करेगी जो माम सभा द्वारा पािरत ूः ताव पर िवचार करेगी, और वन अिधकारों का िरकाडर् तैयार करेगी और उनको सिबडबीजनल आिफसर के माध् यम से िडवीजल लेवल कमेटी का अमेिषत करेगी।

(4) ऐसा व् यिक्त, जो सब िडवीजनल लेवल कमेटी के िनणर्य से व् यिथत हो, वह उसके िनणर्य के िवरुद्ध, िडिःशक् ट लेवल कमेटी को, सिबडवीजनल लेबल कमेटी के िनणर्य के िदनांक से, 60 िदन के अन् दर आवेदन कर सकेगा तथा िडिःशक् ट लेवल कमेटी उस पर िवचार कर उसका िनराकरण करेगा।

परन् तु कोई भी आवेदन, माम पंचायत के ूः ताव के पँ चात् , सीधे िडिःशक् ट लेवल कमेटी को ूः तुत नहीं िकया जा सकेगा, जब तक वह सब िडवीजनल लेवल कमेटी को ूः तुत नहीं िकया जावे। और उसका िनणर्य न हो जावे।

परन् तु यह और भी िक िकसी भी आवेदन का िनराकरण आवेदक के िवरुद्ध तब तक नहीं िकया जावेगा, तब तक आवेदक को अपना पक्ष ूः तुत करने हेतु समुिचत अवसर न िदया जावे।

(5) राज् य सरकार एक िडिःशक् ट लेवल कमेटी गिठत करेगी जो सब िडवीजनल लेवल कमेटी द्वारा तैयार िकये वन अिधकारों के अिभलेख पर िवचार करेगी और अिन्तम रूप से ः वीकार करेगी।

(6) इस ूकार िडिःशक् ट लेवल कमेटी का वन अिधकरों के अिभलेख के सम् बन् ध में िलया िनणर्य अिन्तम और बाध् यकारी होगा।

(7) राज् य सरकार, राज् य ः तर पर, एक ः टेट लेबल मािनटिरंग कमेटी गिठत करेगी, तो वन अिधकरों की मान् यता देने तथा ूदान करने की ूिबया पर िनगरानी रखेगी और नोडल एजेन् सी द्वारा मांगी गई िरपोटर् या िरटनर् ूः तुत करेगी।

(8) सब िडवीजनल लेवल कमेटी, िडिःशक् ट लेवल कमेटी तथा ः टेट लेवल मािनटिरंग कमेटी में राजः व, वन तथा आिदम जाित कल् याण िवभाग के अिधकारी रहेंगे। तथा तीन सदः य, उिचत ः तर के, पंचायती राज् यसंः था द्वारा िनयुक् त िकये जावेंगे िजनमें दो अनुसूिचत जनजाित के तथा एक मिहला सदः य होगी।

(9) सब िडवीजनल लेवल कमेटी, िडिःशक् ट लेवल कमेटी और राज् य ः तरीय मािनटिरंग कमेटी की संरचना और उसके कायर् करने में अपनाई जाने वाली ूिबया वह होगी जो िनधार्िरत की जावे।

अध् याय V

अपराध एवं दण् ड

धारा 7. इस अिधनियम के अन् तगर्त सदः य, या अिधकारी, और ूािधकारी और कमेटी द्वारा अपराध - जब कोई ूािधकारी या कमेटी या अिधकारी या सदःय, इस अिधनियम के िकसी ूावधान या इसके अन्तगर्त बने िनयमों के

ावधानों का, अधिकरों की मान्यता देने में उल्लंघन करता है तब वह इस अधिनियम के अन्तगर्त अपराधी माना जावेगा और उसके िवरुद्ध न्यायालय में कायर्वाही हो सकेगी और वह एक हजार रुपये तक दण्ड का भागी होगा।

परन्तु ािधकारी का कोई भी सदःय, या कमेटी या िवभाग मुख या और कोई व्यिक्त जो इस धारा में सन्दिभर्त िकया गया है और दण्ड का भागी है, को कोई दण्ड नहीं िदया जावेगा यिद वह यह िसद्ध कर देता है िक अपराध उसकी जानकारी के िबना हुआ है और उसने ऐसा अपराध को न होने देने के िलए तत्परतापूवर्क समःत आवँयक कायर्वाही की थी।

धारा 8. अपराध का संज्ञान - कोई भी न् यायालय, इस अिधनियम की धारा 7 के अन्दर, अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक वन में रहने वाला अनूसूिचत जनजाित का सदःय, माम सभा के ःताव या माम सभा के िकसी उच्च अिधकारी के िवरुद्ध ःताव के िवरुद्ध राज्य मािनटिरंग कमेटी को 60 िदन की अविध का नोिटस नहीं देता है, और राज्य मािनटिरंग कमेटी ने उसे िवरुद्ध कायर्वाही नहीं की है।

अध् याय VI

िविवध

धारा 9. ािधकारी के सदः य आिद लोक सेवक होंगे - अध् याय IV में सन्दिभर्त ािधकािरयों के सदःय और अन्य अिधकारी िजन्हें इस अिधनियम के अन्तगर्त अिधकार त्यायोिजत िकये हैं, वे भारतीय दण्ड संिहत 1860 की धारा 21 के अन्तगर्त लोकसेवक होंगे।

धारा 10. सदभाव से िकये कायोर्ं के िलए सुरक्षा - (1) इस अिधनियम के अन् तगर्त सदभावपूवर्क िकये गये या सदभावपूवर्क िकये जाने के इरादे से िकये िकसी कायर् के िलए केन्िशासन या राज्य शासन के कोई अिधकारी या अन्य कमर्चारी के िवरुद्ध कोई वाद, कायर्वाही या अन्य कोई कानूनी कायर्वाही नहीं होगी।

(2) इस अिधनियम के अन् तगर्त सदभावपूवर्क िकये गये या सदभावपूवर्क िकये जाने के इरादे से िकये कायर् से हुइर् कोई क्षित या संभािवत क्षित के िवरुद्ध केन् ि शासन, राज् य शासन या उसके कोई अिधकारी या कमर्चारी के िवरुद्ध कोई वाद या अन् य कोई कानूनी कायर्वाही नहीं होगी।

(3) इस अिधनियम के अन्तगर्त सदभावपूवर्क िकये गये या सदभावपूवर्क िकये जाने से िकये गये िकसी कायर् के िवरुद्ध अध्याय IX के अन्तगर्त गिठत िकसी ािधकारी, अध्यक्ष, सदःय, सदःय सिचव एवं अन्य अिधकािरयों के िवरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कायर्वाही नहीं हो सकेगी।

धारा 11. नोडल एजेन् सी - केन् िशासन का वह मन् Sालय, जो अनुसूिचत जनजाित सम्बन्धी कायर् देखता है या कोई अिधकारी कोई ािधकारी िजसे केन्िशासन द्वारा इस हेतु ािधकृत िकया जावे वह इस अिधनियम के ावधान लागू करने हेतु नोडल एजेन्सी होगी।

धारा 12. केन् ि शासन के िनदेर्श देने के अिधकार - इस अिधनियम के अन् तगर्त अपना कत् तर्व् य पालन करने तथा इसके द्वारा या इसके अन् तगर्त अिधकार का उपयोग करने हेतु, अध् याय IV के अन् तगर्त सन् दिभर्त ािधकारी, केन् ि शासन के िलिखत आदेशों का, जो समय समय पर जारी िकये जावे, के अध् याधीन कायर् करेंगे।

धारा 13. इस अिधनियम के कायर् अन्य कानूनों का अल्पीकरण नहीं करेंगे - इस अिधनियम तथा पंचायत अिधनियम 1996 में अन्यथा ावधािनत के अितिरक्त इस अिधनियम के ावधान, अन्य कानूनों के, जो उस समय लागू हो, के सहायक होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं होंगे।

धारा 14. िनयम बनाने की शिक्त - (1) केन्िशासन, अिधसूचना जारी कर, तथा इसको लागू करने के पूवर् काशन कर, इस अिधनियम के ावधान लागू करने के िलए िनयम बना सकती है।

(2) िवशेष रूप में तथा पूवर्गामी शिक्त की व्यापकता पर ितकूल भाव डाले िबना, ऐसे िनयम, समःत या िनम्न में से िकसी िवषय को उपबंिधत करेंगे।

(a) धारा 6 में िनधार्िरत िबया तथा उसको लागू करने की िबया का ब्योरा।

(b) अिधनियम के िनयम (6) के उपिनयम (1) के अन्तगर्त दावे ाप्त करने, उनको संकलत करने, उसका सत्यापन करने और िसफािरश िकये दावे के क्षेS को वन अिधकारों का उपभोग करने हेतु मािनचS में अंिकत करने तथा सब िडवीजनल कमेटी को धारा 6 उपिनयम (2) के अन्तगर्त आवेदन देने की िबया िनधार्िरत करना।

(c) धारा 6 उपिनयम 8 के अन्तगर्त सब िडवीजनल कमेटी, िडिःशक्ट लेवल कमेटी तथा ःटेट लेवल मािनटिरंग कमेटी में राजःव, वन, आिदम जाित िवभाग के िकस ःतर के अिधकािरयों को सदःय िनयुक्त करने िवषयक।

(d) सब िडवीजनल लेवल कमेटी, िडिःशक्ट लेवल कमेटी और ःटेट लेवल मािनटिरंग कमेटी की संरचना और उनके धारा (6) उपधारा (9) के अन्तगर्त कत्तर्व्य और उनके कत्तर्व्य पालन की िबया।

(e) अन्य कोई िवषय िजसको करने की आवँयकता है, तो आवँयकता हो, के िवषय में िबया।

(3) इस अिधनियम के अन्तगर्त कन्िशासन द्वारा बनाया कोई िनयम, उसको बनाने के पश्चात् यथा सम्भव शीय, संसद के त्येक सदन में, जब वह 30 िदन का अिधवेशन एक साथ होया 2 या 3 लगातार सेशन में हो, ःतुत िकया जावेगा तथा अिधवेशन की समािप्त के पूवर् दोनों सदन इसमें कोई संशोधन करना चाहे या और यिद दोनों सदन की राय हो िक यह

िनयम नहीं बने तब तक िनयम संशोिधत रूप से लागू होगा या नहीं होगा ओर इसके पूवर् िकये कायोर्ं की िविध मान्यता ूभािवत नहीं होगी।